प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 05.12.2023

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा भारत रत्न बाबा साहब डॉ0 भीमराव अंबेडकर जी के #परिनिर्वाण_दिवस के अवसर पर पुलिस कार्यालय में उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि ।

आज दिनांक 06.12.2023 को संविधान निर्माता डॉ0 भीमराव आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने पुलिस कार्यालय में अम्बेड़कर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात् पुलिस कार्यालयल में नियुक्त अधिकारी व कर्मचारीगण द्वारा अम्बेड़कर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसी प्रकार समस्त क्षेत्राधिकारीगण अपने क्षेत्राधिकारी कार्यालय में व समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने अपने थानों पर आंबेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ उपस्थित कर्मचारीगणको आंबेडकर जी के समतापूर्ण समाज की परिकल्पना पर विचार कर उसे आत्मसात करने तथा अपने दृष्टिकोण में लागू करने हेतु प्रेरित किया गया।
इस अवसर पर पुलिस के समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

□पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा चलाया गया विशेष अभियान ।
□06/12 के दृष्टीगत जनपद में समस्त पुलिस फोर्स को दंगा नियंत्रण योजना का रिहर्सल कर ड्यूटी प्वाइंट पर जाने के दिये निर्देश
□समस्त थानों पर सैनिक सम्मेलन, चौकीदार व ग्राम प्रधान की अलग अलग गोष्ठी कराने के दिये निर्देश।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तन द्वारा विशेष अभियान चलाकर 06/12 के दृष्टीगत दंगा नियन्त्रण योजन का रिहर्सल कर ब्रीफ करते हुए योजन के अनुसार ड्यूटी प्वाइंट पर समय से पहुने व

समस्त थानों पर सैनिक सम्मेलन कर कर्मचारीगण के समस्याओं का निस्तारण करने व मेस मैनेजर नियुक्त कर एक समान मेन्यू तैयार करने के साथ ही साथ चौकीदार व ग्राम प्रधान की अलग अलग गोष्ठी करने हेतु निर्देश जनपद के समस्त थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षकों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 06.12.2023 को समस्त थानाओं में प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा विशेष अभियान चलाकर 06/12 के दृष्टीगत दंगा नियन्त्रण योजन का रिहर्सल कराया जा रहा है तथा फोर्स को ब्रीफ कर योजन के अनुसार ड्यूटी प्वाइंट पर समय से पहुचकर शान्ति व्यवस्था ड्यूटी सकुशल सम्पन्न करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। समस्त थानों पर सैनिक सम्मेलन कर कर्मचारीगण के समस्याओं के बारे में जानकारी ली जा रही है तथा निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देश किया जा रहा है। सैनिक सम्मेलन के दौरान मेस मैनेजर नियुक्त किया जा रहा है तथा समस्त थानों पर पुलिस लाइन से मैन्यू प्राप्त कर एक समान मेन्यू के लिए निर्देशित किया गया। थानों पर चौकीदार व ग्राम प्रधान की अलग अलग गोष्ठी कर उच्चाधिकारीगण के आवश्यक दिशा निर्देश से अवगत कराया जा रहे है

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 05.12.2023

‘आपरेशन क्लीन’ अभियान के तहत थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 37 अदद लावारिस वाहनों की नीलामी कराकर रू0 1,27,930/- का किया राजस्व लाभ

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने ऑपरेशन क्लीन अभियान के अन्तर्गत लावारिस वाहनो के निस्तारण हेतु समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देशन के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर द्वारा मा0 न्यायालय से आदेश प्राप्त कर आदेश के अनुपालन में नायब तहसीलदार सदर नेहा राजवंशी की उपस्थिति में नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही करते हुए अन्तर्गत धारा 207 एमबी एक्ट व लावारिस 37 अदद लावारिस वाहनों की नीलामी कराकर रू0 1,27,930/- का राजस्व प्राप्त किया गया। नीलामी से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में नियमानुसार जमा करायी जा रही है।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 06.12.2023

'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या करने के आरोपी अभियुक्तगण को हुई 10-10 वर्षो का सश्रम कारावास व प्रत्येक को रू0 30,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दहेज हत्या करने के आरोपी अभियुक्तगण को 10-10 वर्षो का सश्रम कारावास व रू0 30,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना करनैलगंज पुलिस ने दहेज हत्या करने के अभियुक्तगण 01. राहुल (टाप 10 अपराधी) व 02. श्रीमती ननकई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अमित कुमार पाठक, मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार हेड का0 दीनबन्धु दूबे के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने 10-10 वर्षो का सश्रम कारावास व प्रत्येक को रू0 30,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. राहुल पुत्र राजकुमार उर्फ अडवानी निवासी ग्राम उल्लहा हरशहायपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।(टाप-10 अपराधी)

02. श्रीमती ननकई पत्नी राजकुमार उर्फ अडवानी निवासी ग्राम उल्लहा हरशहायपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-337/21, धारा 498ए,304बी भादवि 3/4 डी0पी0 ऐक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।